

फर्द अहकाम

(नियम 20)

जज अदालत..... उपरान्त उपायिका नं. मुकाम कयाल  
 किस्त मुकदमा ..... उही आड नं. वनाम व(ए)-सिंह वगैर नं. 264/1/17  
 मां ५४ धारा 220A नं.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही गय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामीज में जारी हुए
27/11/18	<p>वकील जफर ने यह प्रार्थना पत्र धारा 220A नं. के तहत पेश किया। वकील जफर को सुना। पत्नी में रजिस्टर राजस्व अभिलेख का खण्डित किया। प्रमाण प्रपत्र हस्ता प्रार्थना के हक में कयाल आता है कि अप्रार्थना के सिद्ध अर्थात् निषेधना आगामी तारीख पेशी दिनांक 29/11/18 तक इस कारण का जारी किया जाता है कि आर क्रम 330 रकवा 1.05, 331 रकवा 0.02, 332 रकवा 0.58, 342 रकवा 0.17, 333 रकवा 0.19, 334 रकवा 0.05, 337 रकवा 0.20, 341 रकवा 0.46 हेर वित्त व क्रम रकवा 2.70 हेर एवं क्रम 338 रकवा 0.14, 340 रकवा 0.76 हेर चार्ज कयाल वनाम में प्रार्थना के इन्हें कार व (वैयारी) साक्षरणी आगामी के दिनांक व मोर की प्रमाणित वनाम एवं वर वान कय आगामी के लिये दिनांक तारीख पेशी के प्रमाण प्रपत्र एका उपायिका है। प्रमाण वर रजिस्टर व/ अप्रार्थना को जारी नुसिल नं. वर पत्नी दिनांक 29/11/18 को पेश की जाए</p>	

29/11/18 वकुलाप उपायिका जारी है पत्नी की दिनांक 14/5/18 को प्रमाणित

तारीख  
पुस्तक

पुस्तक या कार्यवाही मय इनिशियल्स राज

25/9/24  
पीठासीन अधिकारी  
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 9/12/24 को पेश है

रीडर

एस०डी०ओ०/एस०डी०एम० बयाना

9/11/24  
कुलाप उपलब्ध है  
प्रमाण क्र. 30/11/24 को प्रोत्त है

30/12/25  
पीठासीन अधिकारी  
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25/12/25 को पेश है

रीडर

4-4-25

पीठासीन अधिकारी  
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27-6-25 को पेश है

रीडर

27/6/25

पीठासीन अधिकारी  
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11/8/25 को पेश है

रीडर

11/8/25

कुलाप उपलब्ध है  
प्रमाण क्र. 23/8/25 को प्रोत्त है

25/8/25

पीठासीन अधिकारी  
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26/8/25 को पेश है

रीडर

26/8/25

उत्तर पत्र द्वारा कुलाप उपलब्ध है  
एस० प्रमाण द्वारा जाहिर किया

Not P...  
[Signature]

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नया व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तारीख  
में जारी हुए

कि प्रावधिगत प्रावना पत्र में जारी  
कार्यवाही नहीं चाहते हैं प्रमाण इसी  
तर पर खारिज किया जावे। जो  
प्रावधिगत और प्रावना पत्र not-press  
किया गया।

अतः जो प्रावधिगत के द्वारा  
प्रावना पत्र not-press किया जावे  
के आधार पर इसी तर पर खारिज  
किया जाता है पत्रावली के लक्ष्य में  
हीन नभक्त जो मन से वाद-तर्क  
करके लक्ष्य के लक्ष्य

उपखण्ड अधिकारी  
बबाना भगतपुर